न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2019 **दायर दिनांकः 22/05/2019**

उनवान

1. तेजकरण आयु 46 वर्ष पुत्र रामद्वार जाति धाकड़ निवासी आमली खालसा उर्फ नयापुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 59 का ख0नं0 1263 रकबा 1.00 है0 एवं ख0नं0 1463 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 रकबा 3.10 है0 आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता के दो नाम है, पहला रामद्वार व दुसरा नामदयाल उन्हें गांव में इन दोनों नामों से जाना जाता है। इस कारण जब उनकी मृत्यु के पश्चात इंतकाल खुला तब सहवन से खाते में प्रार्थी का नाम तेजकरण पुत्र रामदयाल दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के अन्य शेक्षणिक दस्तावेजात, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि मे प्रार्थी का नाम तेजकरण पुत्र रामद्वार दर्ज है। दिनांक 28.04.2019 की प्रार्थी कृषि उपजमण्डी में अपनी कृषि उपज की बेचने हेतु टोकन कटवाने गया तो खाते में प्रार्थी का नाम तेजकरण पुत्र रामदयाल दर्ज होने से टोकन नही कटा। जिस पर प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि लेकर अप्रार्थी के पास नाम दुरूस्त करवाने हेतु गया तो अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी ग्राम आमली खालसा नयापुरा तहसील अटरू जिला

बारां का होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित प्रार्थी के खाते की आराजी में प्रार्थी का नाम तेजकरण पुत्र रामदयाल को दुरूस्त करते हुये प्रार्थी का नाम तेजकरण पुत्र रामद्वार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि तेजकरण पिता रामदयाल के नाम तेजकरण पिता रामद्वार मुताबिक शपथ पत्र वोटर आई डी के अनुसार दुरूस्त करने मे कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 व PW_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा PW_1 पर रिकार्ड EXP करवाया गया। और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभााक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया कि आराजी ग्राम कीरपुरिया की खाता संख्या 59 किता 2 रकबा 3.10 है0 शामलाती खाते में तेजकरण पुत्र रामदयाल दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार तेजकरण पुत्र रामद्वार खाते में दर्ज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग परिचय पत्र, आधार कार्ड, पिता का भारत निर्वाचन आयोग परिचय पत्र आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामद्वार दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कीरपुरिया की खाता संख्या 59 किता 2 रकबा 3.10 है0 शामलाती खाते में तेजकरण पुत्र रामद्वार किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:42:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: